कार्यालय महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर

कमांक :– भनिब्यूरो/विधि/7/2011/1919–73 दिनांक 15-9-011

परिपत्र

दण्ड़ प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम 2008 को अधिसूचना संख्या एस.ओ. 2687 (ई) दिनांक 30.10.2010 एंव दण्ड़ प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम 2010 अधिसूचना संख्या एस.ओ. 2689 (ई) दिनांक 1.11.2010 के द्वारा गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दण्ड़ प्रक्रिया संहिता की धारा 41 में संशोधन किया गया हैं, संशोधन के बाद संशोधित धारा 41 इसप्रकार हैं :–

धारा 41 पुलिस वारण्ट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी–(1) कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारण्ट के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता हैं–

(क) जो किसी पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में, कोई संज्ञेय अपराध कारित करता हो;

(ख) जिसके विरूद्व एक युक्तियुक्त शिकायत की गई हो, या विश्वसनीय सूचना प्राप्त की गई हो, या एक युक्तियुक्त सुंदेह विद्यमान हो कि उसने एक ऐसा संज्ञेय अपराध किया हैं जो ऐसी अवधि के कारावास के दण्ड़नीय हैं जो 7 वर्ष से कम हो या जिसका 7 वर्षो तक विस्तार हो सकता हो, चाहे जुर्माने के साथ हो या जुर्माने के बिना हो, यदि निम्नलिखित शर्तो को पूर्ण किया जाता हो, यथाः–

(i) ऐसी शिकायत, सूचना या संदेह के आधार पर पुलिस अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि उस व्यक्ति ने उक्त अपराध कारित किया हैं;

(ii) पुलिस अधिकारी को संतुष्टि हैं कि ऐसी गिरफ्तारी आवश्यक हैं–

(क) ऐसे व्यक्ति को आगे कोई अपराध कारित करने से रोकने के लिए; या

(ख) अपराध के उचित अंवेषण के लिए; या

(ग) ऐसे व्यक्ति को अपराध का साक्ष्य गायब करने से या किसी भी ढंग से साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने से रोकने के लिए; या

(घ) किसी ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों से अवगत हो, पर दबाव, धमकी या उत्प्रेरण करने से ऐसे व्यक्ति को रोकने, ताकि न्यायालय अथवा पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्य बताने से उसे रोका जा सके; अथवा

(ङ) जब तक कि ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाये, तब तक न्यायालय में उसकी उपस्थिति, जब कभी अपेक्षित हो, सुनिश्चित नहीं की जा सकती;

एंव पुलिस अधिकारी ऐसी गिरफ्तारी करते समय, अपने कारण लिपिबद्व करेगा।

परन्तु यदि इस उप धारा के उपबंधों अधीन गिरफ्तार करना आवश्यक नहीं हो तो पुलिस अधिकारी हर हाल में गिरफ्तार न करने के कारणों का लिपिबद्व करेगा।

(खक) जिसके विरूद्व विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई हो कि उसने ऐसा संज्ञेय अपराध कारित किया, जो ऐसी अवधि के कारावास से से दण्ड़नीय हैं, जो सात वर्ष से अधिक तक हो सकेगा, चाहे जुर्माने के साथ हो या जुर्माने के बिना हो, या मृत्यु दण्ड़ से दण्ड़नीय हो और पुलिस अधिकारी को ऐसी सूचना के आधार पर यह विश्वास हो कि ऐसे व्यक्ति ने उक्त अपराध कारित किया हैं;

(ग) जो या तो इस संहिता के अधीन या राज्य सरकार के आदेश द्वारा अपराधी उद्घोषित किया जा चुका हैं; अथवा

(घ) जिसके कब्जे में कोई ऐसी चीज पाई जाती हैं जिसके चुराई हुई सम्पत्ति होने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता हैं और जिस पर ऐसी चीज के बारे में अपराध करने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता हैं; अथवा

(ङ) जो पुलिस अधिकारी को उस समय बाधा पहॅुचाता हैं जब वह अपना कर्तव्य कर रहा हैं, या जो विधि पूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा हैं, या निकल भागने का प्रयत्न करता हैं, अथवा

(च) जिस पर संघ के सशस्त्र बलों में से किसी से अभित्याजक होने का उचित संदेह हैं; अथवा

(छ) जो भारत से बाहर किसी स्थान में किसी ऐसे कार्य किए जाने से, जो यदि भारत में किया गया होता तो अपराध के रूप में दण्ड़नीय होता, और जिसके लिए वह प्रत्यप्रण सम्बन्धी किसी विधि के अधीन या अन्यथा भारत में पकड़े जाने का या अभिरक्षा में निरूद्ध

किए जाने का भागी हैं, संबद्ध रह चुका हैं या जिसके विरूद्व इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका हैं या विश्वसनीय इत्तिला प्राप्त हो चुकी हैं या उचित संदेह हैं कि वह ऐसे सम्बद्ध रह चुका हैं; अथवा

(ज) जो छोड़ा गया सिद्धदोष होते हुए धारा 356 की उपधारा (5) के अधीन बनाए गए किसी नियम को भंग करता हैं; अथवा

(झ) जिसकी गिरफतारी के लिए किसी अन्य पुलिस अधिकारी से लिखित या मौखिक अध्यपेक्षा प्राप्त हो चुकी हैं, परन्तु यह तब जब कि अध्यपेक्षा में उस व्यक्ति का, जिसे गिरफ्तार किया जाना हैं, और उस अपराध का या अन्य कारण का, जिसके लिए गिरफ्तारी की जानी हैं, विनिर्देश हैं और उससे यह दर्शित होता हैं कि अध्यपेक्षा जारी करने वाले अधिकारी द्वारा वारण्ट के बिना वह व्यक्ति विधिपूर्वक गिरफ्तार किया जा सकता था।

धारा 42 के प्रावधानों के अध्यधीन, असंज्ञेय अपराध से सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति, या जिसके विरूद्व शिकायत की गई या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई हो या इस प्रकार सम्बन्धित होने का संदेह हो, मजिस्ट्रेट के वारण्ट या आदेश के अलावा गिरफ्तार नहीं किया जायेगा।

<u>41 क. पुलिस अधिकारी के समक्ष उपस्थिति की सूचना</u>– (1) पुलिस अधिकारी, ऐसे सभी मामलों में जहां किसी व्यक्ति का धारा 41 की उप–धारा (1) के उपबंधों के अधीन गिरफ्तार करना आवश्यक नहीं हो, अपने समक्ष या ऐसी अन्य जगह पर, नोटिस में वर्णित किया जाये, उपस्थिति होने के लिए ऐसे व्यक्ति, जिसके विरूद्व उचित शिकायत की गई हो, या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई हो, या उचित संदेह हो कि उसने संज्ञेय अपराध किया हैं, को निर्देश देते हुए (नोटिस जारी करेगा)

(2) जहां किसी ऐसे व्यक्ति को नोटिस जारी किया गया हो, वहां नोटिस का पालन करना उस व्यक्ति का कर्त्तव्य होगा।

(3) जहां ऐसा व्यक्ति नोटिस का पालन करता हैं और पालन करना जारी रखता हैं, वहां नोटिस में वर्णित अपराध के सम्बन्ध में उसे तब तक गिरफ्तार नहीं किया जायेगा, जब तक कि लेखबद्व किये जाने वाले कारणों के लिए, पुलिस अधिकारियों की यह राय नहीं हो कि उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

जहां किसी भी समय, ऐस व्यक्ति नोटिस का पालन करने में नाकाम हो जाता हैं, या अपने को पहचानने के लिए राजी न हो, वहां ऐसे आदेश के अध्यधीन, जिन्हें सक्षम न्यायालय द्वारा इसी सम्बन्ध में पारित किया गया हो, नोटिस में वर्णित अपराध के लिए पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार करेगा।

<u>41 ख. गिरफ्तारी की प्रकिया तथा गिरफ्तार करने वाले अधिकारी का कर्त्तव्य</u>– गिरफ्तारी करते समय प्रत्येक पुलिस अधिकारी –

(क) अपने नाम की सही, दिखने योग्य व स्पष्ट पहचान रखेगा, जो उसकी पहचान को सहज करें;

(ख) गिरफ्तारी का ज्ञापन तैयार करेगा, जिसे–

(i) कम से कम एक ऐसे गवाह द्वारा प्रमाणित किया जायेगा, जो गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार का सदस्य हो या उस स्थान का सम्मानित सदस्य हो, जहां गिरफ्तारी की गई हो;

(ii) गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा प्रति–हस्ताक्षरित किया जायेगा; और

(ग) गिरफ्तार व्यक्ति को यह सूचना प्रदान करेगा, जब तक कि ज्ञापन उसके परिवार के सदस्य द्वारा प्रमाणित नहीं की जाये, कि उसके पास उसके द्वारा बताये गये रिश्तेदार या मित्र को अपनी गिरफ्तारी की सूचना देने का अधिकार हैं।

<u>41 ग. जिलों में नियंत्रण कक्ष</u> :– (1) राज्य सरकार पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित करेगी–

(क) प्रत्येक जिलें में; और

(ख) राज्य स्तर पर।

2– राज्य सरकार प्रत्येक जिलें में नियंत्रण कक्षों के बाहर रखे गये नोटिस बोर्ड पर गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम व पते और उन पुलिस अधिकारियों, जिन्होनें गिरफ्तारियां की हैं, के नाम व पदनाम प्रदर्शित करवायेगी।

3– राज्य स्तर पर पुलिस मुख्यालयों में नियंत्रण कक्ष समय–समय पर गिरफ्तार व्यक्तियों के बारे में, उस अपराध की प्रकृति के बारे में, जिसमें उन्हें आरोपित किया गया, विवरण एकत्रित करेगा और आम जनता की सूचना के लिए आंकड़े रखेगा।

<u>41 घ. पूछताछ के दौरान उसकी पसन्द के वकील से मिलने के लिए गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का अधिकार</u>– जब किसी व्यक्ति को

पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता हैं और उससे पूछताछ की जाती हैं, तो वह पूछताछ के दौरान, यद्यपि सम्पूर्ण पूछताछ में नहीं, अपनी पसन्द के अधिवक्ता से मिलने का हकदार होगा।

अतः निर्देशित किया जाता हैं कि –

(1) उक्त संशोधनों की अक्षरक्षः पालना की जावें तथा धारा 41ग के संदर्भ में निर्णय लिया गया हैं कि प्रत्येक चौकी अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रतिदिन गिरफ्तार व्यक्तियों का विवरण प्रदर्शित करेगें तथा मुख्यालय स्तर पर अपराध शाखा द्वारा भी राज्य स्तर पर गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के बारे में अपराध की प्रकृति, जिसमें उन्हें गिरफ्तार किया गया हैं, विवरण एकत्रित करेगें और आम जनता की सूचना के लिए आंकड़े रखेगें।

(2) ब्यूरो के प्रत्येक पुलिस अधिकारी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करते समय एंव गिरफ्तारी करते समय ब्यूरो द्वारा जारी पहचान पत्र अपने साथ रखेगें तथा आवश्यकतानुसार प्रदर्शित करेगें।

महानिदेशक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही बाबत :–

1– समस्त महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।
2– समस्त उप महानिरीक्षक पुलिस/रेन्ज प्रभारी अधिकारी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।
3– समस्त चौकी प्रभारी एंव यूनिट प्रभारी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान।
4– प्रभारी अधिकारी, अपराध शाखा, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5– कार्यालय आदेश पत्रावली कार्यालय हाज़ा।

महानिदेशक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
राजस्थान, जयपुर।